मुख्य आयुक्त (निःशक्त व्यक्ति) का न्यायालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

सरोजनी हाउस, 6, *भगवानदास* रोड़, नई दिल्ली – 110001
{टेलीफोन :– 23386054, 23386154 फैक्स :– 23386006}
वेब साईटः : www.ccdisabilities.nic.in ई–मेलःccpd@hub.nic.in

निःशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों, दाखिलों और गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आरक्षण के क्रियान्वयन से संबन्धित।

मुख्य आयुक्त (निःशक्त व्यक्ति) का कार्यालय एवं न्यायालय, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 33 और 39 के अंतर्गत, निःशक्त व्यक्तियों के लिए नौकरियों में रिक्तियों पर और दाखिलों में सीटों पर कम से कम तीन प्रतिशत आरक्षण के पालन नहीं किए जाने के मामले को संबंधित सरकारी संगठनों/शैक्षिक संस्थानों और उन संगठनों/शैक्षिक संस्थानों से भी उठाता रहा है, जिन्हें सरकार से कोई छूट/लाभ प्राप्त होता है। जबकि अधिकांश संगठन/शैक्षिक संस्थान उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं, परंतु अभी भी कई संगठन/संस्थान उक्त आरक्षणों का प्रावधान किए बिना ही रोजगार/दाखिले के नोटिसों को जारी करते हैं।

अक्सर संबंधित स्थापना 1996 में इस अधिनियम के लागू होने के समय से भरी गई रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण की गणना नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप निःशक्त व्यक्तियों को उनके लिए निर्धारित कोटे की पूरी आरक्षित रिक्तियों का लाभ नहीं मिल पाता हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं0 36035/3/2004–Estt (Res) द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण को लागू करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं जोकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

रोस्टर में पहले बिंदु का आरक्षण, जिसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, सामान्यतः निःशक्तता की किसी विशेष श्रेणी द्वारा भरा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निःशक्तता की तीन श्रेणियों में आरक्षित रिक्तियों का असमान वितरण होता है। अतः नियुक्त करने वाले प्राधिकारियों से यह अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निःशक्तता की कोई भी श्रेणी समान अवसर से वंचित नहीं रह जाए और निःशक्तता की सभी श्रेणियों के उपलब्ध उम्मीदवारों में से नियुक्ति के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें। विज्ञापन निःशक्तता की किसी विशिष्ट श्रेणी तक ही सीमित नहीं रहे।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 40 के तहत निःशक्तजनों के लाभ हेतु गरीबी उन्मूलन की सभी योजनाओं में कम से कम तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 58 और 59 के अनुपालन में, भारत सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी संगठनों/संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों और उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाली गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले सभी अभिकरण यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अधिनियम के अनिण्वार्य प्रावधानों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुपालन हो ताकि उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करना पड़ें।

निःशक्त व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति अथवा संगठन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन से सम्बन्धित अनिमियतताओं के मामलों को संगत दस्तावेजों के साथ मुख्य आयुक्त निःशक्त व्यक्ति अथवा मामला राज्य सरकार से संबंधित होने पर संबंधित राज्य के निःशक्तता आयुक्त के ध्यान में ला सकते हैं ।

डॉ मनोज कुमार
मुख्य आयुक्त (निःशक्त व्यक्ति)